न्यायालय अपर जिला कलक्टर मुकाम सीकर

सरकार बनाम केदार गंवारिया

मुकदमा नम्बर 13/2026/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

10.03.2026	पत्रावली पेश हुई। खाद्यसुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी केदार गंवारिया पुत्र शिवपाल गंवारिया निवासी वार्ड नं. 11, पुराने पावर हाउस के पिछे खाटुश्यामजी मैसर्स– शिव किराणा जनरल स्टोर, पुराने पावर हाउस के पिछे खाटुश्यामजी की और से वकील श्री पियूष सोनी उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जवाब आवेदन पेश किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 11.03.2025 को निरीक्षण के दौरान अप्रार्थीगण द्वारा विक्रय किये जा रहे कच्ची घाणी सरसों के तेल का नमूना संख्या एफ–4708 लिया गया। जांच रिपोर्ट में उक्त नमूना Sub-standard का पाया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् अप्रार्थी को पुनः जांच हेतु लिखे जाने पर अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं की गई। इस प्रकार अप्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। नमूना संख्या एफ–4708 खाद्य पदार्थ कच्ची घाणी सरसों का तेल जांच रिपोर्ट में अमानक स्तर का पाया गया। उक्त नमूना अमानक स्तर का नहीं होने के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा, जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण Sub-standard का पाये जाने से अप्रार्थी को भविष्य में अमानक रहित खाद्य पदार्थो का विक्रय किये जाने की हिदायत के साथ एवं खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत अप्रार्थी के 11,000/– रूपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये, वरना अप्रार्थी के विरूद्व इस अधिनियम के विरूद्व कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी
एवं (अपर जिला मजिस्ट्रेट)
सीकर (राज.)